14.1.19

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । उपस्थित अधिवक्ता को स्थगन पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि खेत खसरा संख्या 1177 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा ग्राम बैलवा राणाजी, जिसका बेचान मानाराम ने प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित कर पंजीयन करा दिया, जब से प्रार्थी निरन्तर आज दिन तक काबिज है। अधिनस्थ न्यायालय मे भींयाराम के पक्ष मे दानपत्र को बिना किसी आधार पर कायम मुकाम के नाम अमल दरामद का आदेश दे दिया यदि अपीलाधीन आदेश पालना व प्रभाव स्थगित नही किया तो नामान्तरकरण कायम मुकाम वगैरा के नाम दर्ज हो जायेगा, जिसस विवाद बढेगा तथा प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी। अतः तहसीलदार, बालेसर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 4/2018 मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.12..2018 की पालन व प्रभाव को स्थगित करने का आदेश प्रदान करावें।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किय अपीलान्ट द्वारा प्रकट तथ्यों के परिपेक्ष्य मे किसी प्रकार का स्थगन आदेश दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना अस्वीकार किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टार हो कर नम्बर से कम हो।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिशनर,
जोधपुर